न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 02/2026
जीसीएमएस नं. 2026/17
प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागणः–

1. विजयकिशन पुत्र नैनाराम
2. सूरज पुत्र विजयकिशन
3. विरेन्द्र पुत्र विजयकिशन

जातियान जाट निवासीगण ग्राम खेजडली कला, चौधरियों का बास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्तागण :–

1. अणचीदेवी पत्नी नैनाराम जाति जाट निवासी ग्राम खेजडली कला, चौधरियों का बास, तहसील लूणी हाल मुकाम महादेव नगर, बनाड केंट रेलवे स्टेशन के सामने, किसान गैस गोदाम के पास, बनाड, जोधपुर ।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत खेजडली कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 31 मिसल सं. 39 में ग्राम पंचायत खेजडली कला द्वारा दिनांक 24.06.2017 को जारी किया गया।

पंचायत निगरानी सं. 03/2026
जीसीएमएस नं. 2026/18
प्रार्थीगण/ निगरानीकर्तागण :–

1. विजयकिशन पुत्र नैनाराम
2. सूरज पुत्र विजयकिशन
3. विरेन्द्र पुत्र विजयकिशन

जातियान जाट निवासीगण ग्राम खेजडली कला, चौधरियों का बास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्तागण :–

1. नैनाराम पुत्र स्व. कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम खेजडली कला, चौधरियों का बास, तहसील लूणी जिला जोधपुर ।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत खेजडली कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 29 मिसल सं. 37 में ग्राम पंचायत खेजडली कला द्वारा दिनांक 24.06.2017 को जारी किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री आर. के. रावल (प्रार्थीगण की ओर से)
2. अप्रार्थीगण सं. 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 27.04.2026**

1. उक्त विवरण की दोनों निगरानियां राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत खेजडली कला द्वारा जारी पट्टों को अपास्त करने हेतु पेश की गई है, जिसमें समान तथ्य एवं समान विधिक प्रश्न अंतर्वलित होने से, एक ही समान निर्णय से निर्णित किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है। अतएव इन्हे कन्सोलिडेट किया जाता है। निर्णय की प्रति, प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।
2. निगरानी प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को समन जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे गए। पोस्ट ऑफिस की ट्रेक रिपोर्ट अनुसार, जारी किये नोटिस प्रत्यर्थीगण पर डिलीवर हो गये है, परंतु अप्रार्थीगण की ओर से किसी अधिवक्ता या स्वयं ने उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश नहीं किया है। अतः तामिल को पर्याप्त मानते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। ग्राम पंचायत खेजडली कला से आक्षेपित पट्टों से संबंधित अभिलेख तलब किया गया।
3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार हैः–

i) **<u>निगरानी सं. 02/2026 (2026/17)</u>**:–यह निगरानी मिसल सं. 39 दायर दिनांक 20.04.2017, पट्टा बुक सं. 37 में से जारी पट्टा सं. 31 दिनांक 24.06.2017 संकल्प सं. 01 दिनांक 24.06.2017, बनाप 300 वर्गगज बहक अणची देवी पत्नी नेनाराम के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु दिनांक 10.08.2021 को पेश की गई है।

iii) **<u>निगरानी सं. 03/2026 (2026/18)</u>**:–यह निगरानी मिसल सं. 37 दायर दिनांक 20.04.2017, पट्टा बुक सं. 37 में से जारी पट्टा सं. 29 दिनांक 24.06.2017 संकल्प सं. 01 दिनांक 24.06.2017, बनाप 151.44 वर्गगज बहक नेनाराम पुत्र कालुराम के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु दिनांक 26.07.2021 को पेश की गई है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरणों के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त भूखण्ड पूर्व में प्रार्थीगण के दादा जीवनकाल में काबिज होकर कब्जे मकान थे, दादा की मृत्यु वर्ष 1976 में हुई थी। प्रार्थी सं. 01 ने पक्के निर्माण स्वअर्जित आय से वर्ष 1995–96 में किया गया तथा आज दिन तक उक्त संपूर्ण भूखण्ड पर प्रार्थीगण का संयुक्त जायदाद में शांतिपूर्वक कब्जा पट्टा जारी करने से पूर्व से आज दिन तक बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है। शेष भाग 1/2 में एक कच्चा निर्माण का अणची देवी व नेनाराम के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये गये है, जो सरपंच से सांठ गांठ करके प्राप्त किया है। विवादग्रस्त भूखण्ड का विक्रय विलेख जारी करने से पहले ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी नियमों की पालना नहीं की गई। मात्र गुपचुप तरीके से सांठ गांठ कर मनमर्जी से बताये गये नाप का अवैध पट्टा जारी किया गया। जिसे निरस्त किया जावे एवं शून्य घोषित किया जावे।
5. प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस दोनों निगरानियों पर सुनी गई।
6. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि आक्षेपित दो पट्टा सं. 29 व 31 क्रमशः अप्रार्थी नेनाराम व उसकी पत्नी अणची के नाम दिनांक 24.06.2017 को ग्राम पंचायत खेजडली कला द्वारा जारी किये गये है। उक्त पट्टे पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किये गये है। अप्रार्थीगण का उक्त भूखण्ड पर विगत 50 वर्षों से कब्जा नहीं है। नियम 140 से 160 तक की पालना नहीं की गई है। नेनाराम की पत्नी अणचीदेवी का जन्म सन् 1962 में हुआ, जिसके अनुसार पट्टा जारी करते समय उनकी आयु 55 वर्ष बताया गया है। नेनाराम की पत्नी की आयु नियमानुसार विगत 50 वर्षो से पुराने निर्मित मकान के कब्जे के हिसाब से बहुत कम रही है। विवादग्रस्त भूखण्ड का विलेख जारी करने से पहले ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी नियमों की पालना नहीं की गई। मात्र गुपचुप तरीके से सांठ गांठ कर मनमर्जी से बताये गये नाप का अवैध पट्टा जारी किया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित नियमों की अनदेखी करके आक्षेपित पट्टे जारी किये है। अतः निगरानीधीन पट्टे अवैध होने से खारिज किये जावे।
7. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। ग्राम पंचायत खेजडली कला से प्राप्त पट्टा सं. 29 व 31 की मिसलों का अध्ययन कर, अवलोकन किया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर गहनता से मनन किया।

8. निगरानीकार–तथ्य इस प्रकार पाए गए–

A. <u>निगरानी सं. 02/2026 (अणची देवी–पट्टा धारक)</u>– ग्राम पंचायत द्वारा संधारित मिसल सं. 39 दिनांक 20.04.2017 में अप्रार्थी अणची देवी पत्नी नेनाराम ने 300 वर्गगज भूमि का आवासीय पट्टा जारी करने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में पेश ही नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त कमेटी ने दिनांक 05.05.2017 (अस्पष्ट) को मौका रिपोर्ट तैयार की। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में भवन निर्मित होने का अंकन नहीं किया, जो कि भूखण्ड के नियमन की आवश्यक शर्त है। ग्राम सेवक ने नक्शा तैयार किया है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.05.2017 को प्रारूप 22 (नियम 148) में आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, परंतु यह नोटिस किस तारीख को, किस व्यक्ति द्वारा, किन–किन स्थानों पर, किन–किन व्यक्तियों के रूबरू चस्पा किया गया है, इसका कोई अंकन नोटिस पर कहीं पर भी नहीं है। इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 20.05.2017 की पालना में ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.05.2017 को प्रारूप 22 (नियम 148) में आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में एक माह की अवधि में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया है, परंतु एक माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही आदेशिका दिनांक 05.06.2017 को ही ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं होना मानते हुए पट्टा जारी करने का निर्णय लिया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के प्रावधानुसार उक्त प्रारूप में सार्वजनिक नोटिस जारी करना आज्ञात्मक है, ताकि आम जनता, विक्रय की जाने वाली आबादी भूमि बाबत सार्वजनिक हित के या व्यक्तिगत हितों के संरक्षण हेतु आक्षेप ग्राम पंचायत को पेश कर सके। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि पुश्तैनी भूमि पर कच्चा निर्माण आक्षेपित पट्टे की भूमि पर प्रार्थी सं. 01 द्वारा किया हुआ है। अगर ग्राम पंचायत प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देती तो, प्रार्थी आक्षेप प्रस्तुत करता तथा आक्षेपों पर विधिवत सुनवाई करके ग्राम पंचायत विधि सम्मत निर्णय लेकर, आगे की कार्यवाही करती, परंतु पत्रावली पर आक्षेपों की प्राप्ति एवं निपटवारा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अतः निश्चित रूप से प्रार्थीगण के सुनवाई

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

के प्राकृतिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तथा प्रार्थीगण को आक्षेप पेश करने का अवसर ही नहीं मिला।

ग्राम पंचायत की मिसल में पूर्व में प्रिंटेड आदेशिकाओं की प्रति संलग्न है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके खानापूर्ति मात्र की गई है, ऐसी कार्यवाही को पारदर्शी एवं विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अणची देवी पत्नी नेनाराम की उम्र पट्टा जारी करते वक्त 55 वर्ष बताई है। इस प्रकार 50 वर्ष पुराना कब्जा होने का तथ्य संदिग्ध है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि आक्षेपित पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रकिया की घोर अवहेलना करके जारी किया गया है, जो प्रारंभतः शून्य एवं अवैध होने से खारिज योग्य है।

B. <u>निगरानी सं. 03/2026 (नेनाराम–पट्टा धारक)</u>–ग्राम पंचायत द्वारा संधारित मिसल सं. 37 दिनांक 20.04.2017 में अप्रार्थी नेनाराम पुत्र कालुराम ने 151.44 वर्गगज भूमि का आवासीय पट्टा जारी करने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में पेश ही नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त कमेटी ने दिनांक 05.05.2017 को मौका रिपोर्ट तैयार की। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में भवन निर्मित होने का अंकन नहीं किया, जो कि भूखण्ड के नियमन की आवश्यक शर्त है। ग्राम सेवक ने नक्शा तैयार किया है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.05.2017 को प्रारूप 22 (नियम 148) में आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, परंतु यह नोटिस किस तारीख को, किस व्यक्ति द्वारा, किन–किन स्थानों पर, किन–किन व्यक्तियों के रूबरू चस्पा किया गया है, इसका कोई अंकन नोटिस पर कहीं पर भी नहीं है। इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 20.05.2017 की पालना में ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.05.2017 को प्रारूप 22 (नियम 148) में आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में एक माह की अवधि में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया है, परंतु एक माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही आदेशिका दिनांक 05.06.2017 को ही ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं होना मानते हुए पट्टा जारी करने का निर्णय लिया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के प्रावधानुसार उक्त प्रारूप 22 में सार्वजनिक नोटिस जारी करना आज्ञात्मक है, ताकि आम जनता, विक्रय की जाने वाली आबादी भूमि बाबत सार्वजनिक हित के या व्यक्तिगत हितों के संरक्षण

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हेतु आक्षेप ग्राम पंचायत को पेश कर सके। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि पुश्तैनी भूमि पर कच्चा निर्माण आक्षेपित पट्टे की भूमि पर प्रार्थी सं. 01 द्वारा किया हुआ है। अगर ग्राम पंचायत प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देती तो, प्रार्थी आक्षेप प्रस्तुत करता तथा आक्षेपों पर विधिवत सुनवाई करके ग्राम पंचायत विधि सम्मत निर्णय लेकर, आगे की कार्यवाही करती, परंतु पत्रावली पर आक्षेपों की प्राप्ति एवं निपटवारा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अतः निश्चित रूप से प्रार्थीगण के सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तथा प्रार्थीगण को आक्षेप पेश करने का अवसर ही नहीं मिला।

ग्राम पंचायत की मिसल में पूर्व में प्रिंटेड आदेशिकाओं की प्रति संलग्न है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके खानापूर्ति मात्र की गई है, ऐसी कार्यवाही को पारदर्शी एवं विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा नेनाराम पुत्र कालुराम की उम्र पट्टा जारी करते वक्त 63 वर्ष बताई है। इस प्रकार 50 वर्ष पुराना कब्जा होने का तथ्य संदिग्ध है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि आक्षेपित पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रकिया की घोर अवहेलना करके जारी किया गया है, जो प्रारंभतः शून्य एवं अवैध होने से खारिज योग्य है।

9. इसी प्रकार निगरानी में परीक्षण के दौरान अवैध रूप से पट्टा जारी होना पाया जाने पर रजिस्टर्ड पट्टा भी खारिज किया जा सकता है, ऐसे अवैध पट्टे को सिविल कोर्ट से खारिज करवाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है ऐसी व्यवस्था निम्न न्यायिक विनिश्चयों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित की है:–

a. नागरमल बनाम एडीएम सीकर– 2013(1) WLC (Raj)-768
b. नगर परिषद पाली बनाम दीनदयाल– DBSAW No. 485/2013 (D/d-16-07-2015, RHC Jodhpur)
c. झुमरराम बनाम एडीएम–।।, जोधपुर–DBSAW No. 656/2017, (D/d 15-12-2017, RHC Jodhpur)
d. कमलादेवी बनाम स्टेट– DBSAW No. 136/2017 (D/d 27-03-2017)
e. मिश्रीमल बनाम स्टेट– SBCWP No. 5206/2016 (D/d 21-09-2016, RHC Jodhpur)

10. उपरोक्त तथ्यात्मक/अभिलेखीय विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषणानुसार, आक्षेपित दोनों पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है तथा दोनों निगरानियां स्वीकार योग्य है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश

11. परिणामतः उक्त विवरण की दोनों निगरानियां स्वीकार की जाती है तथा निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते हैः–

A. ग्राम पंचायत खेजडली कला द्वारा मिसल सं. 39 दिनांक 20.04.2017 में जारी पट्टा सं. 31 दिनांक 24.06.2017, बनाप 300 वर्गगज, बहक अणचीदेवी पत्नी नेनाराम निवासी ग्राम खेजडली कला को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प सं. 01 दिनांक 24.06.2017 को भी इस पट्टे की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

B. ग्राम पंचायत खेजडली कला द्वारा मिसल सं. 37 दिनांक 20.04.2017 में जारी पट्टा सं. 29 दिनांक 24.06.2017, बनाप 151.44 वर्गगज, बहक नेनाराम पुत्र श्री कालूराम निवासी ग्राम खेजडली कला को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प सं. 01 दिनांक 24.06.2017 को भी इस पट्टे की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

12. उप पंजीयक, लूणी, जिला जोधपुर को निर्णय की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17.10.2017 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 240 पृष्ठ संख्या 140 क्रम संख्या 201703063101927 पर पंजीबद्व दस्तावेज अणचीदेवी पत्नी नेनाराम के पक्ष में तथा दिनांक 17.10.2017 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 240 पृष्ठ संख्या 137 क्रम संख्या 201703063101924 पर पंजीबद्व दस्तावेज नेनाराम पुत्र कालुराम के पक्ष में उक्त दस्तावेज की आपके कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय प्रति पर इस निर्णयानुसार दोनों पट्टों के निरस्तीकरण का नोट लगाया जावे।

13. ग्राम पंचायत द्वारा जारी, उपरोक्त दोनों पट्टों को निरस्त करने के फलस्वरूप तथा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानियों को स्वीकार करने मात्र से निगरानीकर्ताओं को निरस्त आक्षेपित पट्टों की भूमि पर किसी भी प्रकार विधिक अधिकार, स्वत्व, हक इत्यादि स्वतः ही अर्जित नहीं होगा। उसे अपना हक साक्ष्य से सक्षम स्तर पर प्रमाणित करना होगा। ग्राम पंचायत नियमों में दिये गये प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए निरस्त किये गये पट्टे से संबंधित भूखण्ड का विधि अनुसार निपटारा करने हेतु स्वतंत्र है।

14. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत खेजडली कला को लौटाया जावे। ग्राम पंचायत खेजडली कला पट्टा बुक सं. 37 में पट्टा सं. 29 दिनांक 24.06.2017 व

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

31 दिनांक 24.06.2017 पर निरस्तीकरण का नोट अंकित करें तथा ग्राम पंचायत के सम्पति रिकॉर्ड में भी उक्त दोनों पट्टे निरस्त होने का नोट अंकित किया जावे।

15. निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी को भी उक्त निगरानीधीन पट्टा सं. 29 दिनांक 24.06.2017 व 31 दिनांक 24.06.2017 की आपके यहां मौजूद कार्यालय प्रति पर निरस्तीकरण का नोट अंकित करने हेतु भेजी जावे।

16. प्रकरणों में लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।

17. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर